न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत केम्प 2017 मुकाम जावल

पीठासीन अधिकारीः- श्री के.आर.खोड़, आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः- 10/2015 अपील

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

1. श्रीमति मंजु पुत्री श्री रामदयाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अखेपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. सीता पुत्री श्री रामदयाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अखेपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. देवी पुत्री पुत्री श्री रामदयाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अखेपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा ..अपीलार्थीगण

बनाम

1. सोहनी बेवा पुत्री श्री रामदयाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अखेपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. रामचन्द्र पिता श्री रामदयाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी अखेपुर तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत जावल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जावल पं.स. कोटड़ी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी जिला भीलवाडा
5. संजय कुमार पिता सुगनचन्द गोधा (जैन) जाति गोधा (जैन) उम्र वयस्क निवासी कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

...प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 512 ग्राम अखेपुर व नामान्तरण संख्या 588 ग्राम गोगास ग्राम पंचायत जावल दिनांक 20.05.2004 ग्राम पंचायत जावल पं. स. कोटड़ी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

-::आदेश::- दिनांकः - 20/06/2017

अपीलार्थी की ओर से एक अपील नामान्तरण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अखेपुर पटवार हल्का जावल तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 210, 476/2, 211, 467, 492, 512, 422, 504, 507/1 स्थित है जिसमें मृतक रामदयाल जाट का हिस्सा दर्ज था । इसी अनुसार ग्राम गोगास पटवार हल्का जावल की आराजी संख्या 107/3, 7/9, 1/7 जिसमें मृतक रामदयाल जाट का हिस्सा दर्ज था । जिसमें मृतक रामदयाल पिता हरजीराम जाट का हिस्सा दर्ज था जो ग्राम अखेपुर के नामान्तरण संख्या 512 व ग्राम गोगास के नामान्तरण संख्या 588 से दिनांक 20.05.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यर्थी

..2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा

संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया था जबकि अपीलार्थीगण भी मृतक के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के बराबर बराबर के हकदार है । जबकि उक्त दोनो नामान्तरण में पटवार हल्का व भू. अ. निरिक्षक द्वारा सही भरें गये थे जिनमें अपीलार्थीगण का नाम भी दर्ज था लेकिन ग्राम पंचायत ने फैसल करते समय अपीलार्थीगण का नाम हटा दिया जिससे मृतक रामदयाल के हिस्से की सारी भूमि प्रत्रूर्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलार्थीगण का भी बराबर बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था । इस कारण अपीलार्थीगण ने ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 512 ग्राम अखेपुर व नामान्तरण संख्या 588 ग्राम गोगास दिनांक 20.05.2004 ग्राम पंचायत जावल को निरस्त किया जाकर नये सिरे से नामान्तरण दर्ज कर उसमें मृतक रामदयाल के विधिक वारिसान के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कराया जावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई एवं प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील शा. फा. किये गये । प्रत्यर्थीगण दिनांक 18.01.2016 को हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध दिनांक 12.03.2016 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 5 संजयकुमार गोधा द्वारा दिनांक 12.03.2016 को उक्त प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 में से 02 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रत्यर्थी संख्या 2 से कय की इस कारण मुझे भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जावें जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2016 को प्रत्यर्थी संख्या 5 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया । इसके बाद पक्षकारों द्वारा संशोधित शीर्षक पेश हुआ जो शा.फा. किया गया । आज राजस्व लोक अदालत केम्प में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 5 संजय कुमार गोधा एक साथ लोक अदालत की भावना से पेश होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के आपस में राजीनामा हो जाने से एवं प्रत्यर्थी सं. 5 संजय कुमार गोधा को ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 मे से 02 बीघा भूमि विकय कर दी एवं कब्जा भी संजय कुमार का ही है इस कारण आराजी संख्या 210 में 02 बीघा भूमि संजय कुमार पिता सुगनचन्द गोधा (जैन) निवासी कोटड़ी के नाम दर्ज करतें हुये एवं ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 व 476/2 मे से प्रत्यर्थी संख्या 2 रामचन्द्र का नाम हटाया जाकर केवल अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावें क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आराजी संख्या 210 से 2 बीघा भूमि विकय कर दी है इस कारण उक्त आराजी संख्या 210 व 476/2 से प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर शेष ग्राम अखेपुर व ग्राम गोगास की आराजियात में मृतक रामदयाल के हिस्से में अपीलार्थीण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया जावे । अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 की सहमति से आराजी संख्या 210 ग्राम अखेपुर में विकय पत्र के आधार पर केता प्रत्यर्थी संख्या 5 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में 02 बीघा भूमि दर्ज की जाकर आराजी संख्या 210 व 476/2 से प्रत्यर्थी संख्या 2 रामचन्द्र का नाम हटाया जाकर शेष में अपीलार्थीण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज कर दी जावे । अपीलार्थीगण स्वयं एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 स्वयं उपस्थित जिन्होने उक्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामें से निस्तारित करने का निवेदन किया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ पूर्व में एक तरफा कार्यवाही हो रखी है एवं अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं. 5 ने राजीनामा का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया । अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 5 ने राजस्व लोक अदालत केम्प में लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर प्रकरण का आज ही निस्तारण का निवेदन किया क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हो रखी है । अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसे स्वीकार किये जाने का भी निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । ग्राम अखेपुर के नामान्तरण संख्या 512 व ग्राम गोगास के नामान्तरण संख्या 588 दिनांक 20.05.2004 पटवार हल्का जावल ग्राम पंचायत जावल तहसील कोटड़ी का अवलोकन व विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2014 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि नामान्तरण संख्या 512 ग्राम अखेपुर व नामान्तरण संख्या 588 ग्राम गोगास दिनांक 20.05.2004 में पटवार हल्का द्वारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरण भरा था लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत ने केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम फैसल कर दिया जबकि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम फैसल होना चाहिये था । उसके बाद ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 में से 02 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 5 को विक्रय कर दी जिस पर अपीलार्थीगण ने भी लोक अदालत की भावना से उक्त 02 बीघा भूमि आराजी संख्या 210 मे से ग्राम अखेपुर में संजय कुमार के नाम दर्ज करने की सहमति दी एवं उसकी ऐवज में अपीलार्थीगण के आपस में आराजी संख्या 210 व 476/2 में से प्रत्यर्थी संख्या 2 रामचन्द्र का नाम हटाने की सहमति दी क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 2 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं. 5 को विक्रय कर दी है । इसलिये प्रत्यर्थी संख्या 2 का हिस्सा कम करते हुये आराजी संख्या 210 व 476/2 से रामचन्द्र का नाम हटाया जाकर शेष ग्राम अखेपुर व ग्राम गोगास की मृतक रामदयाल के हिस्से की आराजियात में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज कर नये सिरे से नामान्तरण दर्ज किया जावें । ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाकर उक्त नामान्तरण संख्या 512 ग्राम अखेपुर व नामान्तरण संख्या 588 ग्राम गोगास दिनांक 20.05.2004 ग्राम पंचायत जावल को अपास्त किया जाकर नये सिरे से नामान्तरण राजीनामें अनुसार दर्ज कर ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 में से 02 बीघा भूमि विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 5 संजय कुमार के नाम दर्ज कर जिस पर अपीलार्थीगण ने भी लोक अदालत की भावना से उक्त 02 बीघा भूमि आराजी संख्या 210 मे से ग्राम अखेपुर में संजय कुमार के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने की सहमति दी एवं उसकी ऐवज में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 5 के आपस में आराजी संख्या 210 व 476/2 में से प्रत्यर्थी संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा

2 रामचन्द्र का नाम हटाने की सहमति दी शेष ग्राम अखेपुर व ग्राम गोगास की आराजियात का नामान्तरण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से पर ही उनका रहन दर्ज किये जाने का भी आदेश दिया जाता है । अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को राजीनामा हो जाने से स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार कोटड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावें ।

–::आदेश::–

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त नामान्तरण संख्या 512 ग्राम अखेपुर व नामान्तरण संख्या 588 ग्राम गोगास दिनांक 20.05.2004 ग्राम पंचायत जावल को अपास्त किया जाकर नये सिरे से नामान्तरण राजीनामें अनुसार दर्ज कर ग्राम अखेपुर की आराजी संख्या 210 में से 02 बीघा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 5 संजय कुमार के नाम दर्ज करते हुये उसकी ऐवज में अपीलार्थीगण के आपस में आराजी संख्या 210 व 476/2 में से प्रत्यर्थी संख्या 2 रामचन्द्र का नाम हटाया जाकर शेष ग्राम अखेपुर व ग्राम गोगास की आराजियात का नामान्तरण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से पर ही उनका रहन दर्ज किये जाने का भी आदेश दिया जाता है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाड़ा